अपील संख्या ५१/२०२५

तारीख हुक्म	कानसिंह वि. तारादेवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18.05.2026	पत्रावली पेश हुई। रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया, शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोंडेंट संख्या 1 वादिया द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादिया रेस्पोंडेंट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन बाबत नवीन वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ अपील अपीलांट स्वीकार कर निस्तारित किए जाने बाबत निवेदन किया। जिस पर अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अनापत्ति जाहिर की गई। हमनें प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि वादिया रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी आराजी के विभाजन बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा शेष प्रतिवादीगण की तलबी लंबित होने के बावजूद कैम्प कोर्ट में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। चूंकि वादिया रेस्पोंडेंट द्वारा नवीन वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है तथा अपील वस्तुतः वादपत्र का ही अग्रिम चरण है। अतः अपीलांट अधिवक्ता एवं वादिया रेस्पोंडेंट संख्या 1 के अधिवक्तागण की सहमति व निवेदन पर अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 35/2017 बअनवान तारादेवी बनाम राणसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2018 को अपास्त करते हुए वाद वादिया खारिज किया जाता है। वादिया रेस्पोंडेंट संख्या 1 एवं दीगर सहखातेदारान वादग्रस्त आराजीयात के विभाजन बाबत नवीन वादपत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होंगे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय आज दिनांक **18.05.2026** को सर–ए–इजलास लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सुनाया गया। **(डॉ. भास्कर बिश्नोई)** **राजस्व अपील अधिकारी** पाली	